

[Mr. Chairman]

that it was productive. I also felt, during my interaction, that Members were very, very inquisitive. Senior Members like Shri D. Raja, Shri Derek O'Brien, Shri Bhupender Yadav, Shri Tiruchi Siva and others, who were able to spare time, they all guided them on different issues. Shri Fali S. Nariman, former Member of Parliament and other experts were also there. Members should really make use of such occasions, and then interact and find out the rules and regulations, the procedure, the opportunities available, the duties and responsibilities also. Some good beginning has been made. I am happy about it. Now, Shri Ram Kumar Kashyap, ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I have a point of order.

श्री सभापति: प्लीज बताइए। Your point of order is under what rule?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: It is under Rule 30. The Business Advisory Committee, as you have told the House, has decided to extend the duration of the proceedings of the day. The Committee does not have such powers. Under this Rule, the Business Advisory Committee does not have that power.

MR. CHAIRMAN: I know that.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: That is my submission before you.

MR. CHAIRMAN: I know that.

DR. SANTANU SEN (West Bengal) Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Not now, let us first complete this. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Ram Kumar Kashyap. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record except what he is saying. किसानों के बारे में, गांव के बारे में।

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need for Government grants to villages which do not have their own Panchayat Land or other sources of revenue

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): सभापति जी, हमारा देश गांवों का देश है। देश के चहुंमुखी विकास के लिए सभी गांवों का विकास होना बहुत जरूरी है, परंतु हमारे देश में कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनके पास अपनी पंचायती जमीनें हैं। वे उन पंचायती जमीनों को लीज पर देकर जो आमदनी होती है, उससे अपना विकास कर लेती हैं और उन्हें सरकार से भी अनुदान मिल जाता है, परंतु देश में कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें भी हैं, जिनके पास न तो पंचायती जमीनें हैं और न ही उन्हें सरकार से अनुदान मिलता है। ऐसे ग्राम अपना विकास नहीं कर पाते और विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं।

सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे ग्राम, ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनके पास अपनी पंचायती जमीनें नहीं हैं और जिन्हें सरकार से भी पर्याप्त मात्रा में अनुदान नहीं मिला है, उन्हें चिन्हित करके ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति: अनिल बलूनी जी, बगल में बैठिए।

श्री राम कुमार कश्यप: टॉप प्राइयोरिटी देकर धन मुहैया कराने का कष्ट करें, ताकि ये गांव भी अपना विकास कर सकें, विकास की दौड़ में शामिल हो सकें और विकास की धारा से जुड़ सकें, धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): सभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री नारायण दास गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): सभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

Need for better functioning of Government organisations for upliftment of minorities

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): सर, हमारा संविधान समाज के सभी कमजोर वर्गों के उत्थान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और धाराओं में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इसीलिए कुछ ऐसी संस्थाएं, जो केन्द्र सरकार के अधीन चलती हैं, उनका निर्माण हुआ है, लेकिन आज वे संस्थाएं लगभग निष्क्रिय पड़ी हैं और कोई काम नहीं कर रही हैं। एक संस्था है - Maulana Azad Education Foundation. तीन वर्षों में इसमें कोई डायरेक्टर नियुक्त नहीं था, सिर्फ छः महीने पहले एक डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है। एक अन्य संस्था है - National Minorities Development & Finance Corporation. इस सरकार को बने हुए चार वर्ष हो गए, तीन वर्ष इसके चेयरमैन का पद खाली पड़ा रहा। अभी तीन महीने पहले उसका एक चेयरमैन बना है। एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, जो भाषा के उत्थान का काम करती है - Commissioner for Linguistic Minorities. दो वर्ष पहले Commissioner for Linguistic Minorities ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उसके बाद उस पद पर भी कोई नियुक्ति नहीं हुई है। एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देती है - National Commission for Minority Educational Institutions. पिछले चार वर्षों से यह पूरा का पूरा कमीशन retire हो चुका है और इन दरारों, उन संस्थाओं की, जो अल्पसंख्यक दर्जा चाहते हैं, उनकी करीब 7 हजार दरखास्ते pending पड़ी हुई हैं। अभी तक न इस कमीशन का कोई मेम्बर नियुक्त हुआ है, न इस कमीशन का कोई चेयरमैन नियुक्त हुआ है। यह स्थिति है। सरकार नारा देती है - "सबका साथ, सबका विकास", लेकिन अगर मैं अल्पसंख्यकों के हवाले से कहूँ, तो यह नारा सिर्फ * साबित हो चुका है।

सर, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप सरकार को निर्देश दीजिए। मेरा आपसे यह निवेदन है कि तत्काल इन संस्थाओं को, जो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करती हैं, उनको पूरे तरीके से गठित किया जाए, उनको काम करने की इजाजत दी जाए और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किसी तरीके का भेदभाव न हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*Expunged as ordered by the Chair.